



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

# प्रेस विज्ञप्ति

## संख्या— 277 दो लोक सूचना पदाधिकारी को लगा आर्थिक 10/04/2018 दण्ड

**पटना—10 अप्रैल, 2018** :- राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री वी०के० वर्मा ने दो मामलों यथा: वाद सं०—74637/12—13, एवं 87310/13—14 में आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने दोनों मामलों के आवेदकों सर्वश्री रामझूलन उपाध्याय एवं श्री भोला पहाड़ी आर्य को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेश में टालमटोल करने व उदासीनता बरतने के एवज में क्रमशः लोक सूचना पदाधिकारी—सह— कार्यक्रम पदाधिकारी, बंजरिया, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण को 25000/—(पच्चीस हजार रू०) एवं लोक सूचना पदाधिकारी—सह—पंचायत सचिव, रसलपुर, नूरसराय, नालंदा को 10000/—(दस हजार रू०) का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है। साथ ही संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, को फैसले की कॉपी इस आशय के साथ प्रेषित की है कि दण्ड राशि की कटौती कर आयोग को भी अवगत कराये।

ज्ञातव्य है कि वाद सं०—74637/12—13 की अगली सुनवाई 07 मई, 2018 ढाई बजे अपराहन तथा वाद सं.—87310/13—14 की सुनवाई 4 जुलाई, 2018 को साढ़े दस बजे आयोग कार्यालय में होगी।

\*\*\*\*\*